न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 31/2021

अनवान : –

1. ग्राम पंचायत गोगामेड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोगामेड़ी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 21/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 जीजीएम पटवार हल्का गोगामेड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 171/170 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.1510 है० भूमि ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसे रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान के स्थान पर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी दर्ज किया जावे।

रोही मौजा 5 जीजीएम की पंचायत ग्राम पंचायत गोगामेड़ी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत दिलकी जाटन दर्ज है ग्राम पंचायत का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण से भारी परेशानी हो रही है इसलिए ग्राम पंचायत का नाम दिलकी जाटान के स्थार पर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी दर्ज किया जाना आवश्यक है। गोगामेड़ी ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान क्षेत्र में आता था अब गोगामेड़ी अलग से ग्राम पंचायत गठित हो चुकी है तथा चक 5 जीजीएम ग्राम पंचायत गोगामेड़ी में पड़ता है इसलिए ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान को दुरूस्त किया जाकर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी दुरूस्त किया जाना उचित है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत का नाम शुद्धिकरण करने पर गैर सायल को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ना तो राजस्व रिकार्ड में कोई हिस्सा कम होगा और ना ही ज्यादा होगा।

रोही मौजा 5 जीजीएम पटवार हल्का गोगामेड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 171/170 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.1510 है० भूमि ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान के स्थान पर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा 5 जीजीएम का पंचायत ग्राम पंचायत गोगामेड़ी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत दिलकी जाटन दर्ज है ग्राम पंचायत का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण से भारी परेशानी हो रही है इसलिए ग्राम पंचायत का नाम दिलकी जाटान के स्थार पर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी दर्ज किया जाना आवश्यक है। गोगामेड़ी ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

पंचायत ढिलकी जाटान क्षेत्र में आता था अब गोगामेड़ी अलग से ग्राम पंचायत गठित हो चुकी है तथा चक 5 जीजीएम ग्राम पंचायत गोगामेड़ी में पड़ता है इसलिए ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान को दुरूस्त किया जाकर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी दुरूस्त किया जाना उचित है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत का नाम शुद्धिकरण करने पर गैर सायल को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ना तो राजस्व रिकार्ड में कोई हिस्सा कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। रोही मौजा 5 जीजीएम पटवार हल्का गोगामेड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 171/170 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.1510 है० भूमि ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान के स्थान पर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 जीजीएम पटवार हल्का गोगामेड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 171/170 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.1510 है० भूमि ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान के स्थान पर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी दर्ज करवाना चाहते है। उक्त भूमि जिस समय आवंटन की गई थी तब उक्त भूमि ग्राम 5 जीजीएम जो की ग्राम पंचायत ढिलकी मे था को आवंटित की गई थी लेकिन वर्तमान में 5 जीजीएम वर्तमान ग्राम पंचायत गोगामेड़ी मे है सरपंच ग्राम पंचायत गोगामेड़ी द्वारा प्रस्तुत पत्र के मुताबिक उक्त भूमि की बोली/ठेका ग्राम पंचायत गोगामेड़ी द्वारा की जा रही है न की ग्राम पंचायत ढिलकी द्वारा की जाती है अर्थात उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम पंचायत गोगामेड़ी के आधिपत्य में है। सरपंच ग्राम पंचायत ढिलकी द्वारा दिनांक 14.10.2000 को अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि उक्त भूमि को ढिलकी जाटान के स्थान पर गोगामेड़ी में दर्ज किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है रोही मौजा 5 जीजीएम पटवार हल्का गोगामेड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 171/170 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.1510 है० भूमि ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान के स्थान पर ग्राम पंचायत गोगामेड़ी का संशोधन किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/08/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बरी से [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर